भारत स्काउट एवं गाइड, मध्यप्रदेश, राज्य मुख्यालय,

शांति मार्ग, श्यामला हिल्स, भोपाल -- 17

Phone.: 2661263.2737446 **Fax:** 2661263 **Website:**bsgmp.net **E_mail:**scoutguide_bpl@dataone.in

क्र0 / 5232 / रा0मु0 / प्रशिक्षण / 2013 भोपाल, दिनाक 30.11.2013

प्रति,

संहायक राज्य संगठन आयुक्त (स्का./गा.)
भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश
संभागीय कार्यालय ....

विषय :– बेसिक स्काउट मास्टर प्रशिक्षण शिविर के आयोजन बावत्।

राज्य शिक्षा केन्द्र से प्रशिक्षण हेतु प्राप्त सहयोग राशि के अन्तर्गत बेसिक स्काउट मास्टर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है । प्रत्येक जिले को पॉच का कोटा प्रदान किया जाता हैं। अतः अपनें जिले से शासकीय माध्य.विद्या. कें शिक्षको को निर्धारित कोटा अनुसार निम्न जानकारी के साथ शिविर में सम्मिलित करावे।

शिविर का विवरण इस प्रकार है –

शिविर का नाम – बेसिक स्काउट मास्टर प्रशिक्षण शिविर

दिनांक – 10 से 16 दिसम्बर 2013 तक दिनांक 10.12.2013 को प्रातः 10.00 बजे तक अनिवार्यतः उपस्थिति देनी होगी ।

स्थान – संभागवार प्रशिक्षण शिविर निम्नानुसार आयोजित किये जा रहें हैं।

1– राज्य प्रशिक्षण केन्द्र गांधी नगर भोपाल – भोपाल,होशंगाबाद संभाग हेतु

2– संभागीय प्रशिक्षण केन्द्र नयागांव ग्वालियर – ग्वालियर,,चम्बल,सागर संभाग हेतु

3– संभागीय प्रशिक्षण केंन्द्र कालाकुण्ड इन्दौर –' इन्दौर, उज्जैन संभाग हेतु

4– संभागीय प्रशिक्षण केन्द्र बोरदई सिवनी – जबलपुर,रीवा,शहडोल संभाग हेतु

शासकीय माध्यमिक विद्यालय शिक्षा विभाग के निर्धारित कोटा अनुसार शिक्षको को सम्मिलित होने पर उन्हे रेल्वे कन्सेशन/साधारण बस किराया टिकिट प्रस्तुत करने पर मार्ग व्यय एवं शिविर अवधि में निःशुल्क आतिथ्य, व यूनिफार्म (गणवेश) देय होगा ।

उक्त शिविर में अशासकीय विद्यालय /आदिवासी विकास/अनुसूचित जाति विकास के शिक्षक यदि सम्मिलित होगे तो उन्हे निम्नानुंसार शुल्क शिविर में जमा करना होगा।

विकास एवं विशेष शुल्क – 100.00 प्रति व्यक्ति शाला स्काउट निधि से देय होगा ।

शिविर शुल्क – 525.00 प्रति व्यक्ति स्वंय/शाला निधि से देय होगा ।

सम्मिलित होने पर अशासकीय विद्यालय के शिक्षको को उनकी संस्था से एवं आदिवासी विकास/अनुसूचित जाति विकास के शिक्षकों को उनके विभाग से उक्त शुल्क यूनीफार्म व यात्रा भत्ता व अग्रिम की पात्रता होगी एवं प्रशिक्षण केन्द्र पर यूनीफार्म विक्रय हेतु उपलब्ध रहेगी ।

आवश्यक सामग्री– नीली पेन्ट,स्काई ग्रे कलर की शर्ट,कैंप मय बेज,स्कार्फ बागल सहित,काले जूते लेश वाले,काले मौजे,मौसम के अनुसार कपडे व बिस्तर,, भोजन हेतु वर्तन प्रसाधन सामग्री

आडोमास, आवश्यक दवाईयां, ड्राइंग शीट, स्केच पेन, 3 मीटर सूत की रस्सी, सुतली आदि आवश्यक सामग्री।

सम्मिलित होने वाले शिक्षको को सामान्य सूचना शिविर प्रशिक्षण शिविर के प्रमाण की छायाप्रति साथ लाना अनिवार्य हैं।

अतः आपको निर्देशत किया जाता है कि अपने संभाग के अधिनस्त जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी /सहायक आयुक्त आदिवासी विकास/सयुक्त संचालक/उपायुक्त आदिवासी विकास के द्वारा निर्धारित कोटे के आधार पर प्रतिभागियों को पूर्ण तैयारी के साथ प्रतिभागिता हेतु भेजना सुनिश्चित करे ।

30.11.13

/राज्य सचिव

भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र

पृ.क्रमाक/ 5233/रा.मु/प्रशिक्षण/2013 भोपाल दिनांक 30.11.2013

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

01– राज्य मुख्य आयुक्त भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र भोपाल।

02– आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र अरेरा हिल्स भोपाल।

03– सयुक्त संचालक लोक शिक्षण /उपायुक्त आ.वि संभाग ....म.प्र।

04– जिला शिक्षा अधिकारी /सहायक आयुक्त आदिवासी जिला .... म.प्र।

30.11.13

/राज्य सचिव

भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र